UPSI120000152004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–223/2004

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

01. सुरेश कुमार पुत्र बृजलाल
02. अखिलेश पुत्र बृजलाल सर्वनिवासीगण ग्राम सरैया मिर्जापुर थाना–बिसवां जनपद–सीतापुर।

...............अभियुक्तगण।

अपराध संख्या–563/2003
धारा–323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना –बिसवां, जनपद– सीतापुर।

निर्णय

वादी मुकदमा बाबूराम, के द्वारा थाना बिसवां, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बिसवां की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सुरेश कुमार व अखिलेश के विरुद्ध अपराध संख्या–563/2003, अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा बाबूराम के द्वारा थाना बिसवां जनपद सीतापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवाई गई कि वादी मुकदमा बाबूराम ने थाना बिसवाँ जनपद सीतापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवाई की प्रतिवादी खाना संख्या 2 के जानवर छूटकर मेरे चन्नी में आकर खाना खाने लगा तो मेरे भाई हेमराज ने कहा कि अपने जानवर क्यों छोड़ देते हो तो इसी बात पर प्रतिवादीगण गाली गुप्ता करने लगे तो मेरे भाई ने मना किया, इतने में लाठी डंडों से भाई को मारा पीटा जिससे मेरे भाई के शरीर पर काफी चोट आई है। शोर करने पर मैं तथा गांव के उपरोक्त रामधार व खगेश्वर तथा अन्य लोग आ गए जिन्होंने बचाया। प्रतिवादीगण गाली गुप्ता करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मैं अपने भाई हेमराज को लेकर थाने आया हूँ। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो लिखाया लिखा गया। पढ़ाकर सुना ठीक है।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना मानपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–563/2003, अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण सुरेश कुमार व अखिलेश के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक–15.06.2005 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.08.07 15:03:07 IST
Reason: Document Owner
Location: Nyayalaya Civil Judge Junior
Division Biswan STP

अभियक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	बाबूराम	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
2.	हेमराज	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	प्रलेख	प्रदर्श
1.	आरोप पत्र	–
2.	तहरीर	क [1]
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	–
4.	नक्शा नजरी	–
5.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट हेमराज	–

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक–18.05.2026 को अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को कोई मारपीट नहीं हुई, साक्षी पी०डब्लू० 1 बाबूराम व साक्षी पी०डब्लू० 2 हेमराज के बयान के विषय में नहीं जानते, मुकदमा मारपीट का चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषणः– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506, भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी पी० डब्लू० 01 बाबूराम ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना साढे तीन साल पुरानी है। सुबह के साढे आठ बजे की घटना की तारीख याद नहीं है। सुरेश, अखिलेश के जानवर मेरे चरनी की में खाने लगे। मेरे भाई हेमराज ने मना किया। इसी बात को लेकर सुरेश, अखिलेश, हेमराज को गाली गुप्ता देने लगे। मेरे भाई ने गाली गुप्ता से मना किया। तब मेरे भाई हेमराज को लाठी डंडा से मारने लगे। मारने से मेरे भाई के हाथ पैर में चोटें आई थी और टूट गई थी। इस घटना को खगेश्वर, रामाधार ने देखा था और मुल्जिमानों ने जान से मार देने की धमकी दी थी। घटना के 20 मिनट बाद मौके पर आ गया, तब मेरे भाई हेमराज ने घटना के बाबत बताया। तब मैंने अपने भाई को ठेलिया पर लादकर थाना बिसवाँ लाया था और घटना के संबंध में मौखिक रिपोर्ट लिखाया था। रिपोर्ट की कॉपी मिली थी। रिपोर्ट पढ़कर सुना था। अंगूठा लगा वाकर कॉपी मुझे दिया था। इसकी द्वितीय प्रति मैं अपने साथ लाया हूँ। फेहरिस्त के साथ इसे दाखिल कर रहा हूँ। मेरा भाई सीतापुर अस्पताल में भर्ती हुआ था। दरोगा जी ने मौका मुआयना किया था।

प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि अखिलेश, सुरेश मेरे घर के हैं। खगेश्वर मेरे गाँव के हैं। मैं यादव बिरादरी का हूँ। रामाधार व खगेश्वर भी गाँव के यादव हैं। सुरेश, अखिलेश मेरे जाति के यादव हैं। यह सब मेरे रिश्तेदार नहीं है। घटना साढे तीन साल पुरानी

है। यह घटना अगहन में हुई थी। दिन में हुई थी। घटना वाले दिन मैं मौजूद था। मेरा व अखिलेश का घर एक ही जगह पर है। अलग अलग मकान में रहते हैं। सहन बंटवारे का है। मेरा सुरेश व अखिलेश का बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। अखिलेश, सुरेश के जानवर मेरे नांदे में चारा खाने लगे। इसी का विवाद हुआ था। दो जानवर ने चारा खाया था। जानवर को मेरे भाई ने हांका था। हांकने वाली बात मेरे भाई ने बताया था। सुरेश के जानवर के हांकने की बात मेरे भाई ने बताया था। झगड़ा होने के 20 मिनट बाद मेरे भाई ने बताई थी। थाने में मैंने जानवर हांकने की बात भी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई थी। झगड़े के उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11:00 बजे दिन में दर्ज कराई थी। थाना में मैंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। झगड़ा मेरे घर के करीब हुआ था। जिस समय विवाद हुआ था उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ।

साक्षी पी० डब्लू० 02 हेमराज ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना चार साल पूर्व की है। सुबह 8:00 बजे की है। तारीख याद नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जाड़े का महीना था। मेरे मकान के दक्षिण की घटना है। मेरे गाँव के सुरेश, अखिलेश के जानवर मेरे चरनी में घटना के समय खाने लगे। मैंने सुरेश अखिलेश से कहा कि तुम्हारे जानवर मेरे चरनी को चारा खा रहे हैं। इस बात पर सुरेश अखिलेश गाली देने लगे और लाठी डंडा से मारना मारने लगे। लाठी दोनों लोगों के हाथ में थी। इस समय न्यायालय में अखिलेश मौजूद हैं। इनके मारने से मेरे दोनों पैर हाथ व सर में चोट लगी थी। सर से खून निकलने लगा था। हाथ पैर की हड्डी टूट गई थी। माँ बहन की गाली दिए थे। मार डालने की बात कही थी और मार डालो सालों को छोड़ेंगे नहीं। गाली देने से जान से मार डालने की धमकी वाली बात मुझे बुरा लगा था। मारते समय मेरे पड़ोस के रामाधार खगेश्वर आ गए थे। घटना देखी थी और बताया था। मुल्जिमान मारने के बाद भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट मेरे भाई बाबूराम ने लिखवाया था। ठेलिया से बाबूराम बिसवाँ लेकर आए थे। थाना में रिपोर्ट लिखाई थी। डॉक्टरी पहले बिसवाँ में हुई थी। बाद में सीतापुर हुआ था। अक्सर सीता एक्स–रे सीतापुर हुआ था। भर्ती सीतापुर में 20 दिन था। एक्स–रे मेरा जो सीतापुर में हुआ था, उसकी प्लेटें अपने साथ आज लाया हूँ। जो फेहरिस्त के साथ दाखिल कर रहा हूँ। यह एक्स–रे प्लेट अस्पताल से मिला है। दरोगा जी ने घटना की रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ किया था। प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मैं सरैया मिलपुर में रहता हूँ। मैं यादव बिरादरी का हूँ। अखिलेश व सुरेश भी यादव बिरादरी के हैं। यह मेरे रिश्तेदार नहीं है। मारपीट चार साल से ज्यादा हो गए हैं। मारपीट मुझसे नहीं मुझसे हुई थी। मेरे भाई बाबूराम से नहीं हुई थी। मारपीट 8:00 बजे हुई थी। जाड़े में कुआर का महीना था। मेरा सुरेश, अखिलेश के घर आना जाना नहीं है। मेरे गाँव का प्रधान लल्लू है। इस समय मेरे गाँव के प्रधान लल्लू हैं। मैंने लल्लू को वोट दिया था। राम खेलावन भी प्रधानी के लिए लड़े थे। सुरेश अखिलेश प्रधानी के चुनाव में राम खेलावन यादव का सपोर्ट करते थे। जब मेरी रिपोर्ट लिखी गई थी तब राम खेलावन प्रधान मेरे पास आए थे। राम खेलावन ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। मेरे भाई ने लिखवाई थी। उसी थाना लेकर बाबूराम आए थे। थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर अंगूठा मेरे भाई ने लगाया था। प्रार्थना पत्र पर लगाया था। रिपोर्ट थोड़ी देर में लिखी गई थी। डॉक्टरी में दरोगा जी ने दूसरे दिन सीतापुर भेजा था। पहले डॉक्टरी के लिए भेजा था। एक्सरे घटना के तीसरे दिन सीतापुर डॉक्टरी के लिए भेजा था। बिसवाँस पताल मुझे 11:00 बजे भेजे थे। घटना के समय अखिलेश व सुरेश के पास लगभग 10 जानवर थे। मारपीट में बाबूराम को चोट नहीं आई थी। मेरे सर पर चोट लगी थी। नाक का एक्स–रे नहीं हुआ था। यह घटना 8 साल पुरानी है। थाने में रिपोर्ट लिखाने मेरा भाई बाबूराम गया था। मेरा मकान सड़क के किनारे है। झगड़ा गाँव के बाहर हुआ था। मैं झगड़े वाले दिन मौजूद था। मेरे चक्की नहीं लगी है। मैं इस दिन आटा पीसाने नहीं गया था। यह घटना दिन के 8:00–9:00 बजे घटना हुई थी। मैंने देखा अखिलेश व सुरेश मार रहे थे। जब झगड़ा हुआ गाँव के दो–चार लोग जमा हो गए थे। मेरा व सुरेश से विवाद बहुत पुराना है। मेरा और सुरेश का विवाद पुराना है। मेरी व सुरेश की कभी पटी नहीं है। मार के उसी

दिन डॉक्टरी कराई थी। मैं अस्पताल में डॉक्टरी कराने 4:00 बजे आया था। डॉक्टरी के समय पुलिस मेरे साथ थी। घटना के समय जाड़ा था। झगड़ा जमीन की मेड़ काटने पर हुआ था। मैं बेहोश हो गया था। मुझे मालूम नहीं गाँव में कौन –कौन लोग आ गए थे। मुझे सबसे पहले सुरेश ने मारा। सुरेश के मारने से मैं बेहोश नहीं हुआ। घटना के बाद करीब 20 दिन बाद दरोगा जी बयान लेने आए थे। दरोगा जी जब मेरे बयान लेने आए तब खगेश्वर प्रसाद को बुलवाया था। दरोगा जी ने नक्शा बनाया था।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

साक्षी पी०डब्लू० 1 बाबूराम द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया की घटना की जानकारी याद नही है। मेरे भाई हेमराज को लाठी डंडों से मारा और मारने पर पैर में चोट आयी और पैर टूट गया। थाने पर मैंने कोई प्रार्थन पत्र नही दिया। जिस समय विवाद हुआ उस समय मैं मौजूद नही था। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 हेमराज ने बयान दिया कि सुरेश, अखिलेश ने गाली दिया और लाठी डंडो से मारने लगे हाथ–पैर की हड्डी टूट गयी थी। घटना की रिपोर्ट मेरे भाी बाबूराम ने लिखवाया था।

प्रतिपरीक्षा में गवाह हेमराज ने बयान दिया कि मार–पीट मुझसे नही हुई थी। मेरे भाई बाबूराम से नही हुई थी। रिपोर्ट मेरे भाई ने लिखवाई थी। मार–पीट में बाबूराम को चोट नही आयी थी। नाक का एक्स–रे नही हुआ था।

साक्षी पी०डब्लू० 1 साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा चोट के सम्बन्ध में जो बयान दिये है जो लाठी डन्डों से मारा गया था व खून आया था। उक्त चोटो को डॉक्टर ने न्यायालय के समक्ष आ कर प्रमाणित नही किया, जिस कारण उपरोक्त साक्षी पर पूर्णरूप से विश्वास नही किया जा सकता है। इसकी अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह बयान दिया की मार पीट मुझसे हुई थी न ही मेरे भाई बाबूराम से हुई थी। अतः साक्षी पी०डब्लू० 1 बाबूराम और हेमराज के बयानो में पूर्णरूप से विरोधाभाष उत्पन्न होता है। जिस कारण अभियक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाता है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत व्यक्त करता है। यह सही है कि ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्तगण के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा **अभियोजन साक्ष्य में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।** उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाता (Court not functus officio because of expert opinion) न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साक्ष्य मात्र राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती है अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती है।

दौरान अंतिम बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया घटना को प्रमाणित नहीं किया है और अभियोजन अतिरिक्त किसी भी प्रकार के साक्षियों को न्यायालय में पेश करने में असमर्थ रहा है। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष अनुपस्थित है।

<u>Ram Manohar and others Vs. State of U.P.</u> – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)–Criminal Trial–The

prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs, State OF U.P.– **Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court)** Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. **[2014 (85) ACC 182] – Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court)** Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence. For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। साक्षी द्वारा घटना को प्रमाणित नहीं किया गया है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमें के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केश सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अनुपस्थित है, जिस कारण अभियुक्तगण **सुरेश कुमार व अखिलेश** पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **सुरेश कुमार व अखिलेश** पर लगाये गये आरोप अपराध संख्या 563/2003, अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना बिसवां, जनपद सीतापुर से दोषमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनाँक 31.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 31.07.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक 31.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

सुयश (स्टेनो)/–